उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार
14, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001
CIN: U40101UP1980SGC005065

संख्या: 1448/मा0स0(04)/उ0नि0लि0/2023-3(11)/मा0सं0(04)/2017(Vol-II) दिनांक 18.09.2023

कार्यालय-ज्ञाप

उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 28.08.2023 को सम्पन्न 217वीं बैठक के एजेण्डा आईटम संख्या-217.26 में लिए गये निर्णय के अनुपालन में वित्त (सामान्य) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या: 3/2016/सा-3-03/दस-2016- 19/92 टी0सी0, दिनांक 13 जनवरी, 2016 तथा शासनादेश संख्या: 17/2022/आई/202175/2022/फा0नं0-10-22099/218/2020, दिनांक 17 अगस्त 2022 द्वारा निर्गत नई पारिवारिक पेंशन स्कीम 1965 के अधीन देय पारिवारिक पेंशन के लाभों का विस्तारण सम्बन्धी संशोधित व्यवस्था/प्राविधानो को उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 की सेवाओं में तत्काल प्रभाव से यथावत्/सम्पूर्णता में, इस प्रतिबन्ध के साथ कि उक्त शासनादेश दिनांक 13.01.2016 तथा शासनादेश दिनांक 17.08.2022 से आच्छादित प्रकरणों मे आदेश निर्गतन की तिथि के पूर्व अवधि का कोई ऐरियर देय नहीं होगा, एतद्द्वारा अंगीकृत किया जाता है।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या: 1448/मा0सं0(04)/उ0नि0लि0/2023/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन/तकनीकी/वित्त/परियोजना एवं वाणिज्य), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के स्टाफ आफिसर/निजी सचिव।
4. मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक, ओबरा/अनपरा/पारीछा/हरदुआगंज/जवाहरपुर/पनकी ताप विद्युत गृह, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, ओबरा/अनपरा (सोनभद्र)/पारीछा (झाँसी)/कासिमपुर (अलीगढ़)/मलावन (एटा)/पनकी (कानपुर)।
5. मुख्य अभियन्ता (स्तर-I/II), मा0सं0/पर्यावरण एवं सुरक्षा/ईंधन/जानपद-नव परियोजनाये/तापीय परिचालन/नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/वाणिज्य, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (स्तर-I/II), न्यू कोल ब्लाक/प्रगति/पी0पी0एम0एम0, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टी0सी0/46वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
7. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को निदेशक मण्डल की सम्पन्न 217वीं बैठक के एजेण्डा आईटम संख्या-217.26 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
8. मुख्य परियोजना प्रबन्धक, (प्रगति), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टी0सी0/46वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. उप महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता (मा0सं0-01/02/03/04/05/06)/(रिफार्म)/(टाण्डा वाइडिग एवं संसदीय कार्य)/(प्रशिक्षण)/(तापीय परिचालन)/(जानपद)/(औ0स0)/(लेखा प्रशासन), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. उप महाप्रबन्धक/उप मुख्य लेखाधिकारी, ओबरा/अनपरा/पारीछा/हरदुआगंज/जवाहरपुर/पनकी ताप विद्युत गृह, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, ओबरा/अनपरा (सोनभद्र)/पारीछा (झाँसी)/कासिमपुर (अलीगढ़)/मलावन (एटा)/पनकी (कानपुर)।
11. कट् फाइल।

आज्ञा से,
18/9/23
(तरूण कुमार जैन)
अधीक्षण अभियन्ता (मा0सं0-04)

अनुलग्नक-एक

संख्या-3/2016/सा-3-03/दस-2016-19/92 टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,

उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ: दिनॉक: 13 जनवरी, 2016

विषय-: नई पारिवारिक पेंशन स्कीम 1965 के अधीन देय पारिवारिक पेंशन के लाभों का विस्तरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-सा-3-296/दस-93-19/92, दिनॉक 12 मार्च, 1993 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश में यह व्यवस्था की गयी थी कि यदि पति-पत्नी दोनों ही सरकारी सेवक हो और दोनों की मृत्यु हो जाती है तो मृतकों के लाभार्थी बच्चों को दो पारिवारिक पेंशन देय होगी किन्तु जहाँ दोनों पारिवारिक पेंशनें बढ़ी हुयी दर पर स्वीकृत की गयी हैं वहाँ उनके योग की अधिकतम सीमा रू0 2500/- प्रतिमाह, जहाँ एक पारिवारिक पेंशन बढ़ी हुयी दर पर तथा दूसरी पारिवारिक पेंशन सामान्य दर पर अनुमन्य हो तो भी उनके योग की अधिकतम सीमा रू0 2500/- प्रतिमाह तथा जहाँ दोनों पारिवारिक पेंशनें सामान्य दर पर अनुमन्य हो, वहाँ उनके योग की अधिकतम सीमा रू0 1250/- प्रतिमाह होगी।

2- दिनॉक 01-01-2006 से पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम धनराशि रू0 3500/- प्रतिमाह अनुमन्य है। अतः दो पारिवारिक पेंशन मिलने की दशा में निर्धारित उपर्युक्त अधिकतम सीमा में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है। इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय ने दो पारिवारिक पेंशनों की अधिकतम

--2/-

1 यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

Scanned with CamScanner

धनराशि निम्न प्रकार संशोधित करने के आदेश प्रदान किये हैः-

(1)- यदि दोनों पारिवारिक पेंशन बढ़ी हुयी दरों पर अनुमन्य की गयी हो, तो उनका योग रू0 15000/- प्रतिमाह से अधिक नही होगा।

(2)- जहाँ एक पारिवारिक पेंशन बढ़ी हुयी दर पर तथा दूसरी पारिवारिक पेंशन सामान्य दर पर स्वीकृत की गयी हो, वहाँ भी दोनों पारिवारिक पेंशन का योग रू0 15,000/- प्रतिमाह से अधिक नही होगा ।

(3)- जहाँ दोनों पारिवारिक पेंशनें सामान्य दर पर स्वीकृत की गयी हो वहाँ उनका योग रू0 9,000/- प्रतिमाह से अधिक नही होगी।

3- उपर्युक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। इस व्यवस्था से ऐसे सभी लाभार्थी आच्छादित होंगे जिन्हें सम्प्रति दो पारिवारिक पेंशनें अनुमन्य हैं चाहे दिवंगत सरकारी सेवकों (पति एवं पत्नी) की मृत्यु कभी भी हुई हो।

4- ऐसे मामले जिनमें दो पारिवारिक पेंशनें पूर्व में स्वीकृत हुयी थी परन्तु इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि को एक पारिवारिक पेंशन अथवा दोनों पारिवारिक पेंशनें बन्द हो चुकी हैं, इन आदेशों के अन्तर्गत पुनरूद्घाटित नहीं किये जायेंगे। इन आदेशों के अन्तर्गत एरियर का भुगतान अनुमन्य नहीं होगा।

5- इन आदेशों के अन्तर्गत दो पारिवारिक पेंशनों का भुगतान सम्बन्धित कोषागारों द्वारा स्वतः किया जायेगा तथा इस हेतु अलग से पारिवारिक पेंशन प्राप्तकर्ता से आवेदन की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भवदीय,
अजय अग्रवाल
सचिव, वित्त।

--3/-

Scanned with CamScanner

संख्या-3/2016/सा-3-03(1)/दस-2016-19/92 टी0सी0, तददिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।

2- समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3- राज्यपाल, सचिवालय, उत्तर प्रदेश।

4- विधान सभा / विधान परिषद, सचिवालय।

5- निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

6- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।

7- समस्त मण्डलीय, अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश।

8- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

9- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

Scanned with CamScanner

अनुलग्नक-दो

संख्या-17/2022 /आई/202175/2022/फा0न0-10-22099/218/2020

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2-समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 17 अगस्त, 2022

विषय-नई पारिवारिक पेंशन स्कीम 1965 के अधीन देय पारिवारिक पेंशन के लाभों का विस्तरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-3/2016/सा-3-03/दस-2016-19/92टी0सी0, दिनांक 13 जनवरी, 2016 में दो पारिवारिक पेंशनों की अधिकतम धनराशि निम्न प्रकार से संशोधित किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं:-

(1) यदि दोनों पारिवारिक पेंशन बढ़ी हुई दरों पर अनुमन्य की गयी हो, तो उनका योग रू0 15000/- प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा।

(2) जहां पारिवारिक पेंशन बढ़ी हुई दर पर तथा दूसरी पारिवारिक पेंशन सामान्य दर पर स्वीकृत की गयी हो, वहां भी दोनों पारिवारिक पेंशन का योग रू0 15000/- प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा।

(3) जहां दोनों पारिवारिक पेंशनें सामान्य दर पर स्वीकृत की गयी हों, वहां उनका योग रू0 9000/- प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा।

2- दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम धनराशि रू0 9000/- प्रतिमाह अनुमन्य है। अतः दो पारिवारिक पेंशन मिलने की दशा में उपर्युक्त निर्धारित अधिकतम धनराशि की सीमा में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है।

3- उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा दो पारिवारिक पेंशनों की अधिकतम धनराशि की सीमा को निम्नवत् संशोधित किये जाने के आदेश प्रदान किये गये हैं :-

(1) यदि दोनों पारिवारिक पेंशन बढ़ी हुई दरों पर अनुमन्य की गयी हों, तो उनका योग रू0 1,12,500/- प्रतिमाह (राज्य सरकार के अधीन उच्चतम वेतन रू0 2,25,000/- का 50 प्रतिशत होने के कारण) से अधिक नहीं होगा।

(2) जहां पारिवारिक पेंशन बढ़ी हुई दर पर तथा दूसरी पारिवारिक पेंशन सामान्य दर पर स्वीकृत की गयी हो, वहां भी दोनो पारिवारिक पेंशन का योग रू0 1,12,500/- प्रतिमाह (राज्य सरकार के अधीन उच्चतम वेतन रू0 2,25,000/- का 50 प्रतिशत होने के कारण) से अधिक नहीं होगा।

2/-

Scanned with CamScanner